भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2704
उत्तर देने की तारीख : 05.08.2025

प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

2704. श्री वरुण चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति योजना पिछले कुछ वर्षों से स्थगित थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) जिन वर्षों में छात्रवृत्ति योजना स्थगित रही उसके लिए छात्रों को प्रतिपूर्ति देने के लिए अपनाई गई विधि का ब्यौरा क्या है क्योंकि उक्त अवधि में कोई भी संभावित लाभार्थी छात्र इसमें पंजीकरण नहीं करा सका?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ख): अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं निरंतर प्रचालनरत रही हैं।

*****